न्यायालय, जिला न्यायाधीश–प्रथम, पटना

निष्पादन वाद सं0–86 / 2024

आदेश

26.05.2026 डिक्री होल्डल की हाजिरी है। अभिलेख के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि यह निष्पादन वाद बजाज आलियांज जेनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के द्वारा उत्तरार्थी दिलीप रविदास के विरूद्ध लाया गया है और आवेदन में यह कथन किया गया है कि दावा वाद संख्या 394 / 2010 पावो देवी एवं अन्य बनाम दिलीप रविदास एवं इस वाद के आवेदक बजाज आलियांज जेनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के विरूद्ध लाया गया था। जिसमें न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया कि विपक्षी संख्या 03 बजाज आलियांज को यह अधिकार होगा कि दावा राशि का भुगतान आवेदकगण को करने के पश्चात् उसे वे इस निष्पादन वाद के दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के स्वामी से वसूल पा सकते हैं उसी के आलोक में यह निष्पादन वाद दाखिल किया गया है।

मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 197 में निष्पादन न्यायालय के रूप में जिलाधिकारी को निष्पादन न्यायालय बताया गया है इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड अपीलार्थी बनाम श्री ननजी पान एवं अन्य के वाद में सिविल अपील संख्या 1012 / 04 में दिनांक 13.02.2004 को यह निर्णय पारित किया गया कि बीमा कंपनी को यह अधिकार होगा कि वे इस संबंध में निष्पादित न्यायालय में वाद ला सकते हैं और वहां से अपने पैसे की वसूली करवा सकते हैं या संबंधित वाहन की जब्ती भी करा सकते हैं। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 174 के आलोक में निष्पादन न्यायालय जिलाधिकारी होंगे अतः इस वाद को संबंधित न्यायालय में भेजने का आदेश दिया जाता है।

अतः न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की प्रति के साथ साथ बजाज आलियांज जेनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के द्वारा दाखिल निष्पादन वाद 86 / 2024 की फोटो प्रति एवं संबंधित अन्य दस्तावेजों को जिलाधिकारी पटना को भेजें जिससे वे विपक्षी संख्या 03 से आवेदक के पक्ष में उपरोक्त रकम वसूल करावें।

तदनुसार यह निष्पादन वाद निष्पादित किया जाता है।

लेखापित एवं सशोधित

(राकेश कुमार–1)
जिला एवं अपर सत्रन्या0–प्रथम
पटना।

निर्णय / आदेश की तिथि	26.05.2026
निर्णय / आदेश आरक्षित करने की तिथि	–––
अपलोडिंग तिथि	26.05.2026
अपलोड किसके द्वारा किया गया	आशुलिपिक